भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2496

उत्तर देने की तारीख 20.12.2021

कोरोना महामारी के कारण समाप्त हुई नौकरियां

2496 श्री नीरज डांगी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में कुल कितना योगदान है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में कुल कितने लोग नियोजित किए गए हैं;

(ग) कोरोना महामारी (फरवरी-अक्तूबर 2021) के दौरान एमएसएमई में समाप्त हुई नौकरियों का माह-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा एमएसएमई में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (पूर्ववर्ती केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए वर्तमान कीमतों पर अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई सकल मूल्य वर्धिन (जीवीए) का हिस्सा 30.0% था।

(ख): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा संचालित अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों पर एनएसएस के 73वें दौर (जुलाई,2015-जून,2016) के अनुसार एमएसएमई में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 11.10 करोड़ है।

(ग): कोविड-19 ने उनके रोजगार सहित देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित विभिन्न क्षेत्रों को अस्थायी रूप से प्रभावित किया है। चूंकि एमएसएमई औपचारिक और अनौपचारिक दोनो क्षेत्रों में विद्यमान है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार के अस्थायी या स्थायी नुकसान से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(घ): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय देश में एमएसएमई क्षेत्र के रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। इनमें प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन के लिए योजना(एस्पायर) शामिल हैं।

सरकार ने देश में विशेष रूप से कोविड-19 महामारी में एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत कई पहलें की हैं। उनमें से कुछ हैं:

i. एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण।
ii. 4.5 लाख रुपए तक एमएसएमई सहित व्यावसाय के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल मुक्त ऑटोमेटिक ऋण (ईसीजीएलएस के तहत मौजूदा समग्र गारंटी सीमा को 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है)।
iii. एमएसएमई निधियों की निधि के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
iv. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
v. व्यवसाय की सुगमता के लिए 'उद्यम पंजीकरण' के माध्यम से एमएसएमई का नए रूप में पंजीकरण।
vi. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी, इससे एमएसएमई को सहायता मिलेगी।

*****